



"घराना 20"
(नियम 4 का पैरिचय)



24, 24th Street, Gurgaon, Haryana
निर्वाचन क्षेत्र का नाम

(घराना का नाम) के लिए निर्वाचन का लिए निर्दिष्ट

द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सम्बन्ध

माता-पिता

मे सुधाश्री ** पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री का 50 % हिस्सा

(घराना का पूरा पूरा विवरण) का/की विकल्प है और सम्बन्ध निर्वाचन

में प्रतिष्ठा करता है/करती है, जहाँ पर निम्नलिखित सम्बन्ध करता है/करती है -

(1) मे सुधीर (** राजनैतिक पक्ष का नाम) द्वारा बना किया गया अर्थात्

** एक स्वतंत्र अर्थात् के रूप में उद्धृत है।

(** जो लागू न हो उसे साफ़ से)

(2) मेरा पता 134, Sector 29, Gurgaon (निर्वाचन क्षेत्र और घराना का नाम) मे माता नं. 160 के अन्त में 913

का स्थित है।

(3) मेरा पुराना टेलीफोन नं. 7898502074 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो)

है।

(4) स्वयं लेखा संख्याक (यदि) के बारे में और आय-कर विवरण प्रस्तुत करने की प्रतिक्रिया:

क्रम नं.	नाम	विवरण	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरण प्रस्तुत नहीं है।	आयकर विवरण में उपरोक्त कुल आय (यदि है)
1	पति	A-0408 2870 C	2015	2015
2	पत्नी या पुत्री		2015	2015
3	अपति - 1		2015	2015
4	अपति - 2		2015	2015
5	अपति - 3		2015	2015

(5) मे ऐसे किसी व्यक्ति सम्बन्ध में दो वर्ष या अधिक के आयकर से परीक्षा किसी आयकर (अपराधी) कर/की अनियुक्त नहीं है, जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आदेश दे दिया गया है/दिए गए हैं। यदि अनियुक्त कोई किसी आयकर (अपराधी) कर/की अनियुक्त है तो वह निम्नलिखित अपराधी अपराधी, केलना/करती -

(6) निम्नलिखित सम्बन्ध (सम्बन्ध) मे निम्नलिखित व्यक्ति है जिसने दो वर्ष या अधिक के आयकर से परीक्षा किसी आयकर से लिए न्यायालय द्वारा आदेश दे दिया गया है/दिए गए हैं।

(क)	सम्बन्ध/प्रथम सुप्रीम रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस नामा/दिनांक/राज्य के पूर्व जारी	मिस्ट
(ख)	संबन्धित अधिनियम (अधिनियम) की धारा (सारा) और अपराध (अपराधी) का संबंधित विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	मिस्ट
(ग)	न्यायालय का नाम, सम्बन्ध संख्या और संख्या नं. के आदेश की तारीख	मिस्ट
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आदेश (आदेशों) की दिरचना की गई	मिस्ट

सुधाश्री

(iv)	सार्वजनिक (सार्वजनिक) विभागां जागीस विनिश्चित कियु गयु के-	निरंक
(v)	क्या सगी या कोरु सार्वजनिक विनी सभम अधिकारिता घाले न्यायालय द्वारा सोकी गयु हे/हे	निरंक

(ii) निम्नलिखित मामला (समस्या) के विषय उचित है/है किन्में न्यायालय द्वारा संज्ञान दिया गया है या (i) में उचित मामला से निम्न) :-

(a)	न्यायालय का नाम, सम्पत्त संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	निरंक
(b)	उन मामला के बारे में जहां न्यायालय ने संज्ञान दिया है, अधिनियम (अधिनियम) की धारा (धारा) और अन्वय (अन्वय) का संक्षिप्त विवरण जिसको (जिसको) कियु संज्ञान दिया गया है	निरंक
(c)	पूर्वका आदेश (आदेश) के विषय कुनविषय के कियु पाठ्य की गयु जरीस (जरीस)/आदेश (आदेश) (यदि कोरु हो) के बारे में	निरंक

24
REG
2402
अनुयाय/

(b) मुझे किसी अन्वय (अन्वय) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1981 (1981 का 43) की धारा 8 की धारा (1) या धारा (2) में निर्दिष्ट या उपलब्ध (2) के अंतर्गत जाने वाले किसी अन्वय (अन्वय) से निम्न के लिए सिद्धांत उल्लंघन गया है/नहीं उल्लंघन गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए अन्वय का संज्ञान दिया गया है/नहीं दिया गया है

अदि अधिसूची उपर्युक्त रूप में सिद्धांत उल्लंघन गया और संज्ञानित किया गया है तो वह निम्नलिखित उपलब्ध न संज्ञान लेता

निम्नलिखित मामला में मुझे सिद्धांत उल्लंघन गया है और न्यायालय द्वारा संज्ञान का संज्ञान दिया गया है

(a)	उन मामला के बारे में अधिनियम (अधिनियम) की धारा (धारा) और अन्वय (अन्वय) का संक्षिप्त विवरण जिसको (जिसको) कियु सिद्धांत उल्लंघन गया है	निरंक
(b)	न्यायालय (न्यायालय) का नाम, सम्पत्त संख्या और आदेश (आदेश) की तारीख (तारीख)	निरंक
(c)	अधिनियम संज्ञान	निरंक
(d)	क्या सिद्धांत उल्लंघन के आदेश के विषय कोरु जरीस पाठ्य की गयु की/है। यदि हां तो जरीस के बारे में संज्ञान अधिसूची	निरंक

(7) मैं इसे के प्रति या सगी और सगी अधिसूची (जंगम और लक्षण आदि) के बारे में देता हूँ

1. जंगम अधिसूची के बारे में

विषय 1 - संयुक्त स्थिति की सीमा को धर्मरहित करते हुए संयुक्त नाम में अधिसूची का भी विवरण दिए जाय है।

विषय 2 - जंगम/विधिवान की दस्ता में जंगम सं, संयुक्त जंगम की तारीख, स्थिति, बैंक/संस्था का नाम-को संज्ञान उचित भी दिए जाने है।

विषय 3 - सूर्योदय अधिनियम के संज्ञान में कोरु/संयुक्त अधिसूची का मुक्त स्थिति एकाधिक में जंगम जंगम मुक्त के अनुसार और ये सूर्योदय अधिनियम की दस्ता में संज्ञान अधिसूची के अनुसार दिया जाय चाहिए।

विषय 4 - यहां अधिसूची का नहीं जान है जो उल्लंघन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1981 की धारा 8 के अंतर्गत अधिनियम (2) में है।

अधिसूची




33. जलवायु आकृतियों से बर्णन

दिशान 1 - संयुक्त आकृतियों की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम से आकृतियों का नाम बताएं।

दिशान 2 - प्रत्येक भूमि का प्रकार का उपदर्शित का इस प्रकार से पुनर्कथना वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	क्षेत्र	पौधे या पत्तों	आकृति - 1	आकृति - 2	
(i)	भूमि भूमि की उपदर्शित (अपदर्शित) वर्णन संयुक्त (संयुक्त)	275	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे
	क्षेत्र (एकड़ में कुल क्षेत्र)	0.60				
	जहां विरासात में कोई उपदर्शित है (हां या नहीं)	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे
	उपदर्शित उपदर्शित की पंक्ति में क्षेत्र की उपदर्शित	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे
	क्षेत्र के संयुक्त भूमि की उपदर्शित (जहां कोई पंक्ति है)	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे
	विकास उपदर्शित उपदर्शित का संयुक्त से भूमि का क्षेत्र विनिर्देशन	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे
	संयुक्तित संयुक्त संयुक्त	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे
(ii)	भूमि भूमि उपदर्शित (अपदर्शित) वर्णन संयुक्त (संयुक्त)	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे
	क्षेत्र (एकड़ में कुल क्षेत्र)	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे
	जहां विरासात में कोई उपदर्शित है (हां या नहीं)	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे
	उपदर्शित उपदर्शित की पंक्ति में क्षेत्र की उपदर्शित	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे
	क्षेत्र के संयुक्त भूमि की उपदर्शित (जहां कोई पंक्ति है)	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे
	विकास उपदर्शित उपदर्शित का संयुक्त से भूमि का क्षेत्र विनिर्देशन	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे
	संयुक्तित संयुक्त संयुक्त	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे
(iii)	संयुक्तित संयुक्त (अपदर्शित) वर्णन (अपदर्शित) वर्णन संयुक्त (संयुक्त)	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे
	क्षेत्र (एकड़ में कुल क्षेत्र)	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे
	निर्दिष्ट क्षेत्र (एकड़ में कुल क्षेत्र)	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे
	जहां विरासात में कोई उपदर्शित है (हां या नहीं)	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे	पौधे

पौधे



(iv)	अनुसूचित जातियों की दशा में काम की कमी	हो	हो	हो	हो	हो
	काम के समय घुमने की आगत (काम की दशा में)	हो	हो	हो	हो	हो
	विकास समिति के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिश्चय	हो	हो	हो	हो	हो
	अनुसूचित जातों का काम	हो	हो	हो	हो	हो
	अनुसूचित जात (अनुसूचित जाति) के माध्यम से विकास समिति (संस्था)	हो	हो	हो	हो	हो
	काम (जैसे कि संपत्ति में काम)	हो	हो	हो	हो	हो
	निश्चित काम (जैसे कि संपत्ति में काम)	हो	हो	हो	हो	हो
	काम विकास में काम संपत्ति में (जैसे कि संपत्ति)	हो	हो	हो	हो	हो
	अनुसूचित जातों की दशा में काम की कमी	हो	हो	हो	हो	हो
	काम के समय घुमने की आगत (काम की दशा में)	हो	हो	हो	हो	हो
(v)	विकास समिति के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिश्चय	हो	हो	हो	हो	हो
	अनुसूचित जातों का काम	हो	हो	हो	हो	हो
	काम (जैसे कि संपत्ति में काम)	हो	हो	हो	हो	हो
(vi)	पूर्विका (i) से (v) का मूल मूल का काम मूल	हो	हो	हो	हो	हो



(b) मैं जोस वितीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को संस्थाओं के प्रति नीचे देता हूँ -
 विवरण : कुल संस्था संख्या का विवरण के नाम और इनमें प्रत्येक के काम करने के तरीके का मूल विवरण है।

क्रम सं.	विवरण	संख्या	पति या पुत्री	जमीन - 1	जमीन - 5	जमीन - 3
(i)	बैंक/वितीय संस्था (संस्थाओं) को काम का विवरण बैंक या वितीय संस्था का नाम, व्यवस्था संख्या, काम की प्रकृति	हो	हो	हो	हो	हो
	पूर्विका (i) से निम्न किन्हीं अन्य विवरणों विवरण को काम का	हो	हो	हो	हो	हो

प. ध. क.

भाग-ब

(11) भाग-ब के (1) से (10) तक में दिए गए खंडों का प्रकाशन

1	अम्बली का नाम	बी/बेगनी/मूठ राजपुर कुशी
2	आक का पुरा पता	बहाल बी/मूठ पौर-प्रतिष्ठान, जिला-मुरादाबाद
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम क्या क्या	154 भागना (1953)
4	यस राजनीतिक दल का नाम जिसने अम्बली को जंजिर दिया है (अथवा स्वतंत्र निर्वाचक)	स्वतंत्र
5	(i) ऐसे अधिक मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विधीयत किए गए हैं।	तीस
6	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान दिया है (अथवा वह (i) परिष्कृत मामलों से निम्न)	तीस
7	एसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धांततः कारावास तथा एक वर्ष-या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (नोक प्रतिष्ठित निर्दिष्ट 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय)	तीस



		अम्बली के नामों का संख्या	यस वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-का विवरण मांगने के लिए है	कुल निर्वाचन क्षेत्र		
(क) अम्बली		तीस	तीस	तीस		
(ख) पति या पत्नी		तीस	तीस	तीस		
(ग) अधिक		तीस	तीस	तीस		
अभियोगों और न्यायिकों के खंडों (कलम में)						
	विवरण	वर्ष	पति या पत्नी	अभियोग - 1	अभियोग - 2	अभियोग - 3
1	जन्म अभियोग (कुल मूल्य)	तीस	तीस	तीस	तीस	तीस
2	स्वातंत्र्य अभियोग	तीस	तीस	तीस	तीस	तीस
3	स्वातंत्र्य स्वतंत्रता संग्राम की सेवा की सेवा	तीस	तीस	तीस	तीस	तीस
4	अपराधों पर कारावासी की	तीस	तीस	तीस	तीस	तीस
5	दंडनीय / दंडनीय अपराध (यदि लागू हो)	तीस	तीस	तीस	तीस	तीस
6	निर्वाचन क्षेत्र की अनुसूचित	तीस	तीस	तीस	तीस	तीस

अम्बली



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AH 606198

मूल्य १०० रुपये का कागज है।



मूल्य १०० रुपये का कागज है।
 मूल्य १०० रुपये का कागज है।
 मूल्य १०० रुपये का कागज है।

[Signature]
 प्रमुख अधिकारी
 पी.ए.एल.एल.सी.
 एडवोकेट एवं नोटेरी
 जिला इन्दौर (म.प्र.) भारत

[Handwritten signature]

832
2/11/15

24th 26 OCT 2015

बिना - कुमाय भावो/ मिन 221 मिन 221



बिना

Handwritten signature

बिना कुमाय
स्टाफ वेण
विश्वीय परिषद, 8

